# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2019(रसद)
पंजीयन दिनांक 03.09.2019
GCMS NO:- 2019/00146

राज्य सरकार जरिए पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पन्नालाल तेली निवासी लाखोला, तहसील गंगापुर, भीलवाड़ा हाल भण्डारिया
2–श्री शान्तिलाल पुत्र श्री रायचन्द्र जाट निवासी भण्डारिया
3–श्री मोतीलाल पुत्र श्री गोकुललाल गाडरी निवासी भण्डारिया

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सपठित पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण एवं प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 एवं मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने बाबत्।**

**उपस्थितिः–** 1–श्रीमति सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–श्री जसवन्त सिंह राठौड़, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1

## निर्णय

दिनांक 15.09.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2019 को पुलिस उपाधीक्षक को ग्राम भण्डारिया में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर ग्राम भण्डारिया में दबिश देने पर शान्तिलाल पुत्र श्री रायचन्द्र जाट के मकान के पीछे बाडे में 14 लोहे के ड्रमों में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ व एक टाटा पिकअप वाहन संख्या RJ09 GA 4425 पायी गई। श्री शान्तिलाल ने मौखिक बयानों मे अवगत कराया कि यह मकान मैंने पन्नालाल पिता भूरालाल तेली निवासी लाखोला तहसील गंगापुर हाल भण्डारिया को किराये पर दिया है तथा पेट्रोलियम पदार्थ पन्नालाल तेली का ही है। इसके अतिरिक्त पास के मकान में भी 7 लोहे के ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए पाये गये। पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मकान मोतीलाल पिता गोकुललाल गाडरी निवासी भण्डारिया का है। मोतीलाल ने अपने मौखिक बयानों में बताया कि यह मकान मैंने श्री पन्नालाल

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पि[illegible] भूरालाल तेली को किराये पर दिया है तथा पेट्रोलियम पदार्थ पन्नालाल तेली का [illegible] है। पन्नालाल मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया। सदर थाना द्वारा डिटेन कि[illegible] माल का भौतिक सत्यापन करने तथा गवाहों के समक्ष डिटेन किए माल का गै[illegible] द्वारा मापन करने पर कुल 21 ड्रमों में 3615 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पा[illegible] गया तथा एल्युमिनियम के 10 लीटर के 2 बीकर, 5 लीटर के 2 बीकर व 1 [illegible]रे रंग का 7 फीट का पाईप जिसके अग्र वक पर कीप लगा हुआ मौके पर पा[illegible] गए। इतनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, विक्रय हेतु संबंधित व्य[illegible]यों के पास आवश्यक दस्तावेज, क्रय दस्तावेज, लाईसेन्स आदि नहीं होना पा[illegible] गया। मौके पर फर्द मौका तैयार कर समस्त ड्रमों के मापन एवं हुलिया लि[illegible]कर संलग्न किया गया तथा फर्द अभिग्रहण तैयार कर कब्जे में लेकर समस्त सा[illegible]ग्री का फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार कर सदर थाना को सुपुर्दगी में दिया। मौके पर 9 [illegible]मूने लिये गये जिसे क्रमशः A(1) A(2) A(3), B(1) B(2) B(3) व C(1) C(2) C(3) मार्का दिया गया। इस प्रकार श्री पन्नालाल तेली का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अ[illegible]नियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 एवं मो[illegible] स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार नि[illegible]रण) आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अ[illegible] सामग्री राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह राठौड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 15.10.2019 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल आदि पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि घटना के रोज विपक्षी संख्या 1 अपनी पत्नि बरदी बाई को लेकर बांगड हॉस्पिटल भीलवाडा ईलाज करवा रहा था। इस घटना से विपक्षी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है और न ही

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रकरण की जानकारी है जब्तशुदा माल से उसका कोई लेना देना नहीं है। मात्र टाटा पिकअप वाहन संख्या RJ09 GA 4425 उसका है जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ09 GA 4425 को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 2 श्री शांतिलाल जाट ने जवाब पेश किया कि उक्त माल से उसका कोई संबंध नहीं है उक्त मकान उसने विपक्षी संख्या 1 श्री पन्नालाल पिता भूरालाल तेली को किराये पर दे रखा है उससे किसी प्रकार की जब्ती कर कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा किराये पर लिए गए अपने बाडे व मकान में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण किया हुआ पाया तथा 21 ड्रमों में कुल 3615 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय एल्युमिनियम के 10 लीटर के 2 बीकर, 5 लीटर के 2 बीकर तथा एक हरे रंग का 7 फीट लम्बा पाईप जिसके अग्र वक्र पर कीप लगा हुआ एवं 1 टाटा पिकअप वाहन संख्या RJ09 GA 4425 आदि सामग्री मौके पर पाए गए तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, क्रय करने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने किराये पर लिए हुए बाडे एवं मकान पर इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ चोरी से निकाल कर उनका अवैध भण्डारण करना, खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने व खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना एवं उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 3615 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, बीकर एवं अन्य सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 18.08.2019 को जब्तशुदा 3615 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, बीकर एवं अन्य सामग्री को राजसात करने तथा टाटा पिकअप वाहन संख्या RJ09 GA 4425 को दो लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 3615 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official